

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 116/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

## उनुवान

- 1 श्री रुघनाथ जी महाराज स्थान फूलियाकलां जरिये पुजारी रामेश्वर लाल पिता छीतरदास वैष्णव (साधू) उग्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा

----- (प्राथी)

## बनाग

- 1 जगदीश पिता रघुनाथ जाट उग्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 2 ओमप्रकाश पिता सोनारायण जाट उग्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 3 रामधन पिता रामकरण जाट उग्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 4 जीतमल पिता रामकरण जाट उग्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 5 सरगोद पिता छीतर जाट उग्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 6 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्राथी अधिवक्ता- श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

## निर्णय

दिनांक - 10.05.2023


प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 11.07.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सणगारी पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 127 के आ.न. 372 रकबा 0.34 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्राथी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 14.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तागील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्राथी को सुना गया। प्रस्तुत वृहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्राथीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्राथी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्राथी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सणगारी पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 127 के आ.न. 372 रकबा 0.34 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फूलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीगण को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी,  
फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा